रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 1972/पौष 30, 1893
No. 36] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 1972/PAUSA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है कि जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

1972 20/3/72

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 1972

S.O. 47(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints Dr. V. S. Vyas, Member of the Agricultural Prices Commission, as a part-time member of the Commission of Inquiry appointed to inquire into the working of the sugar industry, by the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Food), No. S.O. 3180, dated the 28th September, 1970, *vice* Dr. Dharam Narain, and makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In paragraph 1 of the said notification, for the entry relating to item No. 4, the following entry shall be substituted, namely:—

"Dr. V. S. Vyas, Member, Agricultural Prices Commission."

[No. 1-15/71-Sugar.]

S. V. SAMPATH, Jt., Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1972

का० आ० 47(अ).—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा डा० धर्म नारायण के स्थान पर डा० बी० एस० व्यास, सदस्य, कृषि कीमत आयोग को शकरा उद्योग के कार्य की जांच करने के लिये भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 3180 तारीख 28 सितम्बर, 1970 द्वारा नियुक्त जांच आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त करती है, और उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में मद संख्या 4 से सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"डा० बी० एस० व्यास
सदस्य,
कृषि कीमत आयोग ।"

[सं० 1-15/71-शकरा]

एस० बी० सम्पथ, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972